04.03.2022 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उप.।
अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर
बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने
बहस करते हुए निवेदन किया कि
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को
सुनवाई का समुचित अवसर नहीं
दिया गया। अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट
में पारित किया गया। अतः अपील
स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर
बहस करते हुए निवेदन किया कि
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट
को सुनवाई का समुचित अवसर दिया
गया। अपीलाधीन आराजी राजकीय
भूमि है जिसमें खनन लीज आवंटित होने है।
अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का
कोई हक नहीं बनता है। अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन
करते हुए पारित किया गया। अपील
खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया। कैम्प कोर्ट की सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश/निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 91/2012 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नकल लेकर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी	